फाइल नं0-71-1001(10)/2020

127/2022/।/243629/2022

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 05 दिसम्बर, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-203/2018/2333/71-1-2018-जी-89/2006, दिनांक 13.07.2018 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 40356.19 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त पुनरीक्षित लागत रू0 40356.19 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा रू0 38068.24 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/362, दिनॉक 15.09.2022 के क्रम में पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी लेखा पक्ष में पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी हेतु 24- वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख के सापेक्ष 95 प्रतिशत के रूप में अवशेष धनराशि **रू0 270.14 लाख (रू0 दो करोड़ सत्तर लाख चौदह हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय) 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशानिर्देशों - का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है , किन्ही अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति को (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में सम्मिलित नहीं है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

7. विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जाए।
8. शासनादेश संख्या-203/2018/2333/71-1-2018-जी-89/2006, दिनांक 13.07.2018 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,70,14,000 (रुपये दो करोड़ सत्तर लाख चौदह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक मे-ं अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031055700 पैरा मेडिकल कालेज, झांसी मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक -07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी।
5- वित्त नियंत्रक, पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in